भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2716
दिनांक 16 दिसंबर, 2025 / 25 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण

2716. श्री दिलीप शइकीया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मादक पदार्थों के सेवन संबंधी समस्या से निपटने के लिए कोई रणनीति तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) युवाओं में सिंथेटिक मादक पदार्थों के बढ़ते सेवन पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने वर्ष 2012 में स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार की थी, जिसमें स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक उपयोग को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत ढांचा (फ्रेमवर्क) प्रदान किया गया है, साथ ही इनके कहीं और इस्तेमाल, तस्करी और दुरूपयोग को रोकने के लिए कड़े नियंत्रण सुनिश्चित किए गए हैं। यह नीति सरकारी अस्पतालों और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समर्थित गैर-सरकारी संगठनों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जागरूकता फैलाने, उपचार करने, पुनर्वास एवं सामाजिक पुनर्एकीकरण को समाहित करने वाले संतुलित दृष्टिकोण पर बल देती है। यह नीति मादक पदार्थों के दुरुपयोग के रुझानों की निगरानी करने और साक्ष्य-आधारित पहलों (इंटर्वेंशन) की स्थिति में मार्गदर्शन करने के लिए नियमित राष्ट्रीय सर्वेक्षणों को संस्थागत करने को भी अनिवार्य बनाती है।

(ग): सरकार ने सिंथेटिक मादक पदार्थों के उत्पादन और तस्करी को रोकने तथा मादक पदार्थों के दुरूपयोग से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: -

(i) सिंथेटिक मादक पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 18 नए प्रीकर्सर रसायनों को दिनांक 23.01.2025 को नियंत्रित पदार्थों का विनियमन (आरसीएस) आदेश की अनुसूची 'ख' और 'ग' में अधिसूचित किया गया है, जिससे नियंत्रित पदार्थों की संख्या 45 हो गई है।

(ii) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा जिन कंपनियों को प्रीकर्सर रसायनों के लिए विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यूआरएन) जारी की गई है, उनकी सूची सभी राज्यों, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) और आसूचना ब्यूरो के साथ साझा की गई है तथा प्रीकर्सर रसायनों के कहीं और इस्तेमाल (डायवर्जन) पर कड़ी नजर रखने का अनुरोध किया गया है।

(iii) तटीय क्षेत्रों के माध्यम से सिंथेटिक मादक पदार्थों सहित मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए समुद्री निगरानी प्रणालियों को मजबूत किया गया है।

(iv) भारत सिंथेटिक मादक पदार्थों के खतरों से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधनों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को ट्रैक करने और उसे रोकने के लिए और ज्यादा सूचना को साझा करना, संयुक्त ऑपरेशन तथा सहयोगात्मक प्रयास शामिल हैं।

(v) सिंथेटिक मादक पदार्थों और प्रीकर्सरों से संबंधित डेटा को साझा करने और इसे प्राप्त करने तथा आगे उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए आईएनसीबी के इंटरनेशनल ऑपरेशन ऑन एनपीएस इंसिडेंट कम्युनिकेशन सिस्टम (आईओएनआईसीएस) और प्रीकर्सर इंसिडेंट कम्युनिकेशन सिस्टम (पीआईसीएस) पोर्टलों का बेहतर उपयोग किया गया है।

(vi) मेथमफेटामाइन और एमडीएमए जैसी सिंथेटिक मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) और सीमा शुल्क की क्षेत्रीय इकाइयां निरंतर सतर्क रहती हैं और ऑपरेशनल कार्रवाई करती हैं।

(vii) देश के सभी जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया है। इस अभियान ने 8.7 करोड़ युवाओं और 6 करोड़ महिलाओं सहित 24.9 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंच बनाई है।

(viii) सरकार देश भर में 349 'नशे के आदी लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए)' 45 'समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई) केंद्रों', 76 'आउटरीच और ड्रॉप इन केन्द्रों (ओडीआईसी)' 154 'व्यसन उपचार सुविधाओं (एटीएफ)' और 139 'जिला नशा मुक्ति केंद्रों (डीडीएसी)' को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(ix) सरकार ने, नागरिकों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में, 1933-'मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र (मानस)' हेल्पलाइन शुरू की है, जिसे अनेक संचार माध्यमों से नशीली मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की रिपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।

(x) नशामुक्ति के लिए, जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता प्रदान करने हेतु एक टोल-फ्री हेल्पलाइन, 14446 चलाई जा रही है।

(xi) एनएमबीए को सहयोग देने और जन जागरूकता गतिविधियों का संचालन करने के लिए आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ): सरकार मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयास कर रही है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: -

(i) मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी विभिन्न मामलों, जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है, का समाधान करने के लिए म्यांमार, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि जैसे पड़ोसी देशों और अन्य देशों के साथ महानिदेशक स्तरीय वार्ताओं/द्विपक्षीय वार्ताओं का आयोजन किया जाता है।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के एक भाग के रूप में, भारत ने स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों (एनडीपीएस) तथा रासायनिक उत्प्रेरकों की अवैध तस्करी के साथ-साथ संबंधित अपराधों से निपटने के लिए, 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(iii) मादक पदार्थों की ट्रांसनेशनल तस्करी से निपटने के लिए सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान हेतु स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन-ड्रग ओफेंसिज मॉनीटरिंग डेस्क (सार्क-एसडीओएमडी), ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), कोलम्बो प्लान, दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन (आसियान), आसियान सीनियर ऑफिशियल ऑन ड्रग मैटर्स (एएसओडी), बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिमस्टेक), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग एण्ड क्राइम (यूएनओडीसी), अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) आदि के साथ समन्वय भी करता है।

(iv) ऑपरेशनल और आसूचना संबंधी जानकारी के लिए एनसीबी अन्य देशों के विभिन्न मादक पदार्थ संपर्क (लाइजन) अधिकारियों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसी (डीईए), यूनाइटेड किंगडम की नेशनल क्राइम एजेंसी, कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी), ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (एएफपी), फ्रांस की ऑफिस एंटी-स्टुपेफिएंट (ओएफएएसटी) आदि के साथ रियल टाइम सूचना का आदान-प्रदान करता है।

*****